संख्या-1/2026/18/002- 78-02099/143/2020

प्रेषक,

अर्जुन देव भारती,
संयुक्त सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक, उद्योग
कानपुर, उ0प्र0।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-2 लखनऊ: दिनांक: 13 जनवरी,2026

विषय: यूपीस्वान-2.0 परियोजना के क्रियान्वयन हेतु प्राविधानित धनराशि रु0 6197.70 लाख के सापेक्ष माह (अक्टूबर, 2025 से 31 मार्च, 2026) तक अर्थात कुल 06 माह के लिए कुल धनराशि रु0 3061.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को के पत्र संख्या-D/25-26/3369, दिनांक 19-12-2025 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के राज्य आय-व्ययक की अनुदान संख्या-007-उद्योग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के लेखा शीर्ष 2852-उद्योग-07-दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग-202-इलेक्ट्रानिक्स-25-यू.पी. स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क-2 (यू.पी.स्वान-2)-42-अन्य व्यय में प्राविधानित धनराशि रू0 6197.70 लाख (रुपये इकसठ करोड़, सत्तानबे लाख, सत्तर हजार मात्र) के सापेक्ष माह 01 अक्टूबर, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक अर्थात कुल 06 माह की सेवाओं हेतु रू0 3061.00 लाख (रुपये तीस करोड़, इकसठ लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष प्रदान करती हैं:-

(1) निदेशक, उद्योग द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या-बी-1-417/10-2013-16/94, दिनांक 26 फरवरी, 2013 में दी गयी प्रक्रियानुसार सेंट्रल सर्वर के माध्यम से सम्बन्धित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(2) उक्त धनराशि की वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जा रही है कि इसके भुगतान में सम्बन्धित योजना में पारित एमओयू / निविदा / कार्यादेश की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5,भाग-1 के प्रपत्र संख्या-6(ए) (संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबंध निदेशक, यूपीडेस्को द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

(4) उक्त धनराशि का लेखा-जोखा निदेशक, उद्योग कानपुर द्वारा अपने यहां भी रखा जायेगा।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय उपरान्त प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज, निदेशक, उद्योग कानपुर तथा आई0टी0 अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(6) स्वीकृत धनराशि का आहरण एकमुश्त नहीं किया जायेगा। तात्कालिक आवश्यकता एवं वास्तविक व्यय के आधार पर ही राजकोष से धनराशि का आहरण किया जायेगा। कार्यदायी संस्था के देयकों का नियमानुसार तत्काल भुगतान कर उसकी सूचना अविलम्ब प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को द्वारा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि भुगतान से पूर्व प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को सम्बन्धित कार्य संतोषजनक रुप से पूर्ण होने के सम्बन्ध में सन्तुष्ट हो लेंगे तथा प्रस्तुत बिलों को सत्यापित करा लेंगें।

(8) स्वीकृत धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व उ0प्र0 बजट मैनुअल, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप, दिनांक 27 मार्च, 2025 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को उत्तरदायी होंगें।

(9) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन एवं मानक मद के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है एवं वास्तविक व्यय के आधार पर ही धनराशि का आहरण एवं भुगतान किया जायेगा।

(10) प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को धनराशि से सम्बन्धित आंकड़ों की शुद्धता सुनिश्चित करेंगे।

(11) स्वीकृत धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में ही किया जायेगा। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है,तो उसे प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को द्वारा राजकोष में जमा कराते हुये उसकी प्रमाणिक सूचना शासन को भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(12) प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को यह सुनिश्चित कर लेगें कि किसी भी स्थिति में दोहरा भुगतान न किया जाए।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 30,61,00,000 (रुपये तीस करोड़ इकसठ लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 2852072022500 यू0पी0 स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क-2 (यू0पी0 स्वान-2) मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

अर्जुन देव भारती

संयुक्त सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ / प्रयागराज ।
3. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ, उ0प्र0 ।
6. संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ ।
7. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 डेवलपमेंट सिस्टम्स कारपोरेशन लि0,लखनऊ ।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
9. नियोजन अनुभाग-4, योजना भवन लखनऊ ।
10. औद्योगिक विकास अनु0-2/ सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनु0-3
11. अनु सचिव/ नोडल अधिकारी ऑनलाइन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम,आईटी एवं इले0 विभाग उ0प्र0 शासन।
12. आईटी एवं इले0 अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन ।
13. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
अर्जुन देव भारती
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।